

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

राँची,

दिनांक :- 14.3.12


1118

अधि.सं.-02/स्था.(स्थाना.पदा.)-03-01/2012-----/ श्री रामाश्रय चौधरी, सहायक अभियंता (आई.डी.-जे.-4460, जन्म तिथि-08.01.53, गृह जिला-मुंगेर), जलपथ अवर प्रमंडल संख्या-01, खरसांवा शिविर चाईबासा, जिनकी सेवाएँ विभागीय अधिसूचना संख्या-3262 दिनांक 30.06.2011 (क्रमांक 105) के माध्यम से मानव संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को सौंपी गई है, को कार्यहित में अपने पूर्व पद सहायक अभियंता, जलपथ अवर प्रमंडल संख्या-01, खरसांवा शिविर चाईबासा के पद पर अगले आदेश तक बने रहने का आदेश दिया जाता है।

2. विभागीय अधिसूचना संख्या-3262 दिनांक 30.06.2011 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,



(रमेश कुमार चौधरी)

सरकार के अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :-


1118

राँची, दिनांक :-

14.3.12

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा राँची को (सी.डी.सहित) राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि गजट प्रकाशन के पश्चात इसकी 25 (पच्चीस) प्रतियाँ कार्यालय अभिलेख हेतु विभाग को प्रेषित की जाय।



(रमेश कुमार चौधरी)

सरकार के अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :-

1118

राँची, दिनांक :-

14.3.12

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड राँची/ उप सचिव, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखण्ड राँची/ माननीय उप मुख्यमंत्री -सह- मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव (दो प्रतियों में)/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ सचिव, मंत्रिमंडल(निगरानी) विभाग, झारखण्ड राँची/ सचिव, मानव संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ अभियंता प्रमुख-01 एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ सभी संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/ सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ संबंधित मुख्य अभियंता/ संबंधित अधीक्षण अभियंता/ संबंधित कार्यपालक अभियंता/ संबंधित सहायक अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ प्रशाखा पदाधिकारी- 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07/ब, 7/यो., एवं 08ए, 08बी एवं 14/ वेब इन्फारमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(रमेश कुमार चौधरी)

सरकार के अवर सचिव (प्र.)